

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत सामान्य मद आयोजनेतर अनुदान संख्या-5 (गत वर्षों की देयता) में अनुपयोगित धनराशि अन्य जनपद को आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4341/खा.ग्रा.बो./मु.ग्रा.रो.यो./पत्रा.सं0-91/2016-17, दिनांक 24.11.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-28/2016/ 467/59-2-2016-6(खा)/2016, दिनांक 02.06.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 तक की लम्बित देयताओं के निस्तारण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। आपके अनुरोध के दृष्टिगत नीचे दी गई तालिका संख्या-1 में अंकित 4 जनपदों (बरेली, गौतमबुद्ध नगर, सम्भल एवं बुलन्दशहर) द्वारा आवंटित धनराशि उपयोग न किये जाने के कारण अनुपयोगित धनराशि तालिका संख्या-2 में अंकित जनपदों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि के आवंटन की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तालिका-1

तालिका-2

Ø0	tuin dk uke	yficer ns rk grq vko@r /kujk'k	vuq; ksr /kujk'k	Ø0	os tuin ftudks vuq; ksr /kujk'k vko@r fd; k tkuk ilrkfor gS	vko@r /kujk'k
1	2	3	4	1	2	3
1	cjyh	800000-00	800000-00	1	'WgtgkMij	322000-00
2	xkfecq uxj	620000-00	620000-00	2	xkj [ki j	195393-00
3	l Bky	197000-00	173800-00	3	egjktxã	595000-00
4	cya'kj	1007000-00	690951-00	4	dkSWEch	195393-00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

&	&	&	&	5	Orgij	195393-00
&	&	&	&	6	bykgkcln	195393-00
&	&	&	&	7	irkix<	195393-00
&	&	&	&	8	l ksiln	195393-00
&	&	&	&	9	l rjfonkl uxj	195393-00
	;ks	2624000-00	2284751-00			2284751-00

3- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना सामान्य मद आयोजनेतर अनुदान संख्या-5 की वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-28/2016/467/59-2-2016-6(खा)/2015, दिनांक 02.06.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

संयुक्त सचिव।

संख्या- /59-2-2017-6(खा)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बरेली/ गौतमबुद्धनगर/ सम्भल/ बुलन्दशहर/ शाहजहांपुर/ गोरखपुर/ महाराजगंज/ कौशाम्बी/ फतेहपुर/ इलाहाबाद/ प्रतापगढ़/ सोनभद्र/ सन्तरविदासनगर।
5. सम्बन्धित परिक्षेत्रीय/संयुक्त/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी बोर्ड।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित जनपदों के प्रबन्धक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग 30प्र0, इलाहाबाद।
12. वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
13. एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।